न्यायालय सहायक कलक्टर ,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मिततल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः—280/2012

रामकिशन पुत्र डरोला जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भांडौर तहसील भरतपुर।
.....वादी

बनाम

1. ईश्वरी
2. मदन
3. छीतर उर्फ फत्ते
4. रामजीलाल

पुत्रगण जग्गा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भांडौर तह0 व जिला भतरपुर।

5. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गतधारा 88—89—188—53 राज0 काश्त0 अधि0 नियम 1955

निर्णय

दिनांक 06—02—2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188—53 आरटीए विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 57/0.27, 378/0.56, 377/0.52, 379/0.23, 380/0.27, 381/0.08 किता 6 रकवा 1.93 ग्राम भांडौर तहसील भरतपुर स्थित है। जिसमें वादी 1/2 भाग का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वहिस्सा बराबर 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है।

वादी का आज तक आराजी मुत0 का बंटवारा प्रतिवादीगण के साथ नही हुआ है। वैसे मनवट से वादी खसरा नम्बरान 378/0.56, 379/0.23, 381/0.08 व 380/0.27 मे से 0.09 एयर रकवा को मनवट से काश्त करता है तथा शेष रकवा को प्रतिवादीगण काश्त करते है और आज भी वादी का इसी प्रकार कब्जा काश्त है मगर प्रतिवादीगण ने चालाकी से प्रशासन ग्रामों के संग कार्यक्रम के तहत कैम्प तुहिया में उपस्थित होकर वादी की गैर मौजूदगी में आ0 मुत0 का बंटवारा करा लिया है और वादी के कुरे मे हाल नम्बर 378/0.56 व 379/0.23 किता 2 रकवा 0.79 रखते हुये शेष रकवा पर अपने नाम अलग—अलग खाते में दर्ज करा दी है। वादी सम्पूर्ण रकवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.93 है में 1/2 भाग का यानि 96 ऐयर का खातेदार है। वादी को केवल 0.79 ऐयर रकवा ही दिया गया है यानि वादी को 17 ऐयर रकवा कम दिया गया है जबकि वादी का 1/2 भाग यानि 96 ऐयर रकवा पर कब्जा है। उक्त बंटवारा गलत व खिलाफ कानून किया गया है तथा दा0 खारिज संख्या 257 आ0 मुत0 बावत स्वीकार किया है वह कानून की नजर में वातिल व शून्य है। तथा जो इन्द्राज हाल जमाबंदी में आ0 मुत0 के दर्ज किये गये है वह गलत व खिलाफ कानून है। जिनके कायम रहने से हकूक वादी पर जवाल आने का अन्देशा है। इसलिये वादी इस बावत अदालत द्वारा हकइस्तकरार करा पाने का अधिकारी है।

आ0 मुत0 का मुताबिक धारा 53 आर.टी.एक्ट मीटस एण्ड वाउन्ड बंटवारा नही हुआ है ना ही नियमों का पालन किया गया है। वादी अपने हिस्से व मनवट के मुताबिक पुनः बंटवारा करा पाने का अधिकारी हे।

वादी अपने मनवट के मुताबिक आज भी मौके पर काबिज है मगर प्रतिवादीगण उक्त बंटवारे एवं दा0खा0 के आधार पर वादी को आ0 ख0 नं0 380 मिन./0.09 व 381/0.08 से बेदखल करने को उतारू है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.05.2005 को वादी को इस आशय की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी जो जर्रे नकद पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी के मनवट को ध्यान में रखते हुए बराबर–बराबर के दो कुरे बनाये जाकर किसी एक कुरे पर वादी को खातेदार दर्ज कराया जावे अथवा कैम्प के बंटवारे को यदि बहाल रखा जाता है तो वादी के खाते में खसरा नम्बर 380 मिन./0.09 व 381/0.08 ग्राम भांडौर को अंकित करते हुये प्रतिवादी ईश्वरी का नाम कमजन किया जावे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सवत् 2059 से 2062 एवं नकल नामान्तरकरण एवं नकल जमावंदी संवत् 2047 पेश की है ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और दिनॉक 13.12.2007 को जबाव दावा पेश किया । तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं0 1:– ''आया वादी नामा0संख्या 257 को वातिल व शून्य कराकर विवादित आराजी का विधिवत रूप से बंटवारा करा पाने का मुश्तहक है'' । .....वादी...

Web Copy - Not Official

तनकी नं0 2:—''आया वादी अपने खाते में ख0नं0380 मिन,381 वाके ग्राम भांडौर तहसील भरतपुर में अंकित करा पाने तथा प्रतिवादी ईश्वरी का नाम कलमजन करा पाने का अधिकारी है ।'' .....वादी....

तनकी नं0 3:—''आया वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करा पाने का अधिकारी है।'' .....वादी.....

तनकी नं0 4:—''आया प्रतिवादीगण वादी से रकवा 0.16 ऐयर अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।'' .....प्रतिवादी.....

5.दादरसी:—

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में दिनॉक 31.03.2012 को गवाह रामकिशन का शपथ—पत्र पेश हुआ । अन्य कोई साक्ष्य पेश न करने पर दिनॉक 08.10.2013 को साक्ष्य वादी बंद की गई । इसी प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी में कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य न आने पर दिनॉक 01.02.016 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई ।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । अभिभाषक प्रतिवादी को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आये । हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तनकी वाईज विवेचना निम्न प्रकार है:—

तनकी नं0 1:— ''आया वादी नामा0 संख्या 257 को वातिल व शून्य कराकर विवादित आराजी का विधिवत रूप से बंटवारा करा पाने का मुश्तहक है।''इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण पर है । वादीगण ने अपने दावा में स्वीकार किया है कि वाके ग्राम भांडौर तहसील भरतपुर स्थित आ0ख0 नं0 57/0.27,378/0.56,377/0.52,379/0.23,380/0.27,381/0.08 का प्रशासन ग्रामों के संग अभियान में विभाजन हुआ है । और वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग—अलग खाते दर्ज हुए हैं । तत्पश्चात् आराजी मुतनाजा बावत् नामान्तरकरण संख्या 257 भी स्वीकार किया गया है। यहॉ तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का प्रशासन गॉवों के संग अभियान में विभाजन कर डिक्री पारित की गई थी । यदि वादीगण उक्त विभाजन से असंतुष्ट थे तो उन्हें इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी थी । न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसीलदार,भरतपुर द्वारा आराजी मुतनाजा का दाखिल खोला गया है । इसके लिए भी वादीगण को सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील में जाना चाहिऐ था । आराजी मुतनाजा का इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय से बंटवारा हो चुका है तो पुनः इसी आराजी बावत् दावा प्रस्तुत करना विधि संगत नहीं है । अतः यह तनकी विरूद्ध निरस्त की जाती है ।

तनकी नं0 2ः—''आया वादी अपने खाते में ख0नं0380 मिन,381 वाके ग्राम भांडौर तहसील भरतपुर में अंकित करा पाने तथा प्रतिवादी ईश्वरी का नाम कलमजन करा पाने का अधिकारी है ।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है । वादीगण ने वाके ग्राम भांडौर तहसील भरतपुर हाल खसरा नम्बर 380 मिन व 381 में अपना नाम अंकित कराने एवं प्रतिवादी ईश्वरी का नाम कलमजन करने का अनुरोध किया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बरों में प्रतिवादी ईश्वरी के नाम इन्द्राज न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये विभाजन के आदेश से हुआ है । यदि वादीगण न्यायलय के पूर्व निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उक्त निर्णय विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं । इस बावत् इस न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं । अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 3ः—''आया वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करा पाने का अधिकारी है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का है । वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जा सके । अतः यह तनकी भी प्रमाणित नहीं होने के कारण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 4ः—''आया प्रतिवादीगण वादी से रकवा 0.16 ऐयर अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण का है । वाद ग्रस्त आराजी बावत् तनकी नम्बर 1 लगायत 3 में विस्तृत विवेचना की चुकी है । इसके लिए प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र हैं । अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

5.दादरसीः—उपरोक्त विवेचना अनुसार दावा वादीगण मैन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । तद्नुसार पर्चा डिक्री कायम हो । निर्णय आज दिनॉक 06.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official